अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

बनवारी बनाम **गिरधारी आदि**

दावा बाबत बंटवारा व संशोधन राजस्व रिकार्ड

दावा मुकदमा नं. 92/2018 **निर्णय दिनांक– 08.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर खसरा सं. 253 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा सं. 269 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा सं. 262 रकबा 1.15 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. बनवारीलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.99 हैक्टेयर	बा.1	7.00
2. रतनलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.46 हैक्टेयर	बा.1	3.19
3. गिरधारीलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	253 मीन	0.45 हैक्टेयर	बा.1	3.15
4. श्रीचन्द पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी सा.देह	253 मीन	0.46 हैक्टेयर	बा.1	3.22
5. बनवारीलाल रतनलाल पि. केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.02 हैक्टेयर	गै.मु.रास्ता	–
6. महावीरप्रसाद पुत्र मुकन्दाराम रकबा 0.23 है. जाति नायक गीगा पुत्र रामला रकबा 0.42 है. हणमान मदन महेश पुत्रगण कुरड़ाराम रकबा 0.50 है. जाति मेघवंशी सा.देह	262	1.15 हैक्टेयर	बा.1 गै.मु.रास्ता	7.77 –

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी करने से बाज रहे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.06.2018 को केम्प नरोदड़ा में जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सिंगोदड़ा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सिंगोदड़ा

08.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प सिंगोदड़ा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण साधारण बंटवारे का है जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिया जावे। उक्त सभी के निवेदन पर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेशित करने तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त उपस्थित उभयपक्ष ने सहमत होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावें। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याय आपके द्वार/18/156 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 253 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा सं. 269 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा सं. 262 रकबा 1.15 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. बनवारीलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.99 हैक्टेयर
2. रतनलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.46 हैक्टेयर
3. गिरधारीलाल पुत्र केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	253 मीन	0.45 हैक्टेयर
4. श्रीचन्द पुत्र भगवानाराम जाति मेघवंशी सा.देह	253 मीन	0.46 हैक्टेयर
5. बनवारीलाल रतनलाल पि. केशाराम जाति मेघवंशी सा.देह	269 मीन	0.02 हैक्टेयर
6. महावीरप्रसाद पुत्र मुकन्दाराम रकबा 0.23 है. जाति नायक गीगा पुत्र रामला रकबा 0.42 है. हणमान मदन महेश पुत्रगण कुरड़ाराम रकबा 0.50 है. जाति मेघवंशी सा.देह	262	1.15 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सिंगोदड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official